

FROM No. III

फॉर्म अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत

सहायक जज SDJ मुकाम

सो 6 रॉ बनाम दोषी रॉ वसोरे

किस्म मुकदमा

दाखल आवेदन नं. 54/22 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
7/2/2022	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>कुमार सिंह चौधरी</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>14/3/2022</u> को पेश हो।</p>	
14/3/2022	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी/प्रतिवादी के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी मिजवाये गये जिनको करीब 30 दिन से अधिक का समय व्यक्त हो चुका है जिनकी मोर से कोई उपस्थित नहीं हुआ न्यायालय समय लीन कर मावाज लगाई गई। सोनितम मावाज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी/प्रतिवादी स्वयं या उनकी मोर से कोई अधिकृत या मजिमाकड उपस्थित नहीं हुआ। विप्रार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एडल्टरम) डायवारी मामल के लार्प जारी है। अतः वास्ते काश्तकारी पत्रावली दिनांक 28/3/2022 को पेश हो।</p>	<p>सहायक जज (SDJ) बायतु जिला - बाड़मेर</p>

तारीख हुक्म

हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) बायतु

न्यायालय
28/03/2022
प्रार्थी

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / ~~229~~ 229

प्रार्थी

बनाम

दिनांक:- 28/3/2022
विप्रार्थीगण

1. सोढे खां पुत्र हिन्दाल खां,
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,
तहसील गिडा जिला बाडमेर


1. दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 15,
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कसुम्बला हरचन्द,
पटवार मण्डल कसुम्बला भाटियान,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 54/2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा - कसुम्बला हरचन्द, पटवार मण्डल - कसुम्बला भाटियान, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 197/80 रकबा 4.4515 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक / वाद / 2022 / 230-234

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सोढे खां पुत्र हिन्दाल खां,
4. विप्रार्थी श्री दोशे खां पुत्र हिन्दाल खां वगैरा 15
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 28/03/2022

(SDO) बायतु